

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नाण्डल

शामपाल बनाम प्रभु (कीरा)

7
8
5

किसम मुकदमा प्रा-पत्र 111-120 नं० 23 त्त 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मग इनिशयलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को मनाल में जारी हुए
-3-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 17-4-20 को पेश हो। उपरखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नाण्डल	
17-4-20	उपपक्ष पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-5-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी नाण्डल	
15-5-20	उपपक्ष पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी नाण्डल	
29-5-20	उपपक्ष पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी नाण्डल	
14/8/20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य रक्षण/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25-8-20	
25-8-20	उपपक्ष पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी नाण्डल	



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.9.20</p>	<p>पञ्जावली पेश हुई, वकील सार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा. प० क्रिये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे शा. प० की गई अप्रार्थीगण को छिन्की भर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं बचे किन्तु एक तरफा कार्यवाही क्रिये जाने के अदेश दिये जाते हैं वकील सार्थीगण ने बहस करनी चाही, बहस सुनी गई वकील सार्थीगण का प्रार्थन स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से किया जाकर शा. प० क्रिया गया। पञ्जावली फौजल शुमार होकर दफ्तर दारखिल हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला नीलवाड़ा </p>	

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ठोठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 23/20 प्रा. पत्र

श्री रामपाल vs श्री गैक वैरवा निवासी - भगवानपुरा तहसील-माण्डल (हैरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री प्रभु vs श्री गैक वैरवा निवासी - भगवानपुरा तहसील-माण्डल (हैरा)
(संश्लेषित प्रमाण संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... भगवानपुरा पटवार हल्का..... भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1509 4758/1509 कुल किता..... 02 रकबा..... 11 बीघा..... 0.6 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11-03-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... भगवानपुरा पटवार हल्का..... भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1509 4758/1509 कुल किता..... 02 रकबा..... 11 बीघा..... 0.6 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक..... भगवानपुरा 600/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल-भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल-भीलवाडा